राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.2(6)नविवि / बीकानेर / 2018 जयपुर, दिनांकः 18 SEP 2018

परिपत्र

विषयः– **विक्रीत / आवंटित भूखण्डों की ब्याज एवं शास्ति की राशि निर्धारित समयावधि में जमा न होने पर स्वतः निरस्त भूखण्डों के नियमितिकरण के संबंध में।**

राजस्थान सुधार न्यास (शहरी भूमि का निष्पादन) नियम, 1974 के नियम 14 एवं नियम 17 के अन्तर्गत नीलामी स्वीकृति की तिथि / आवंटन तिथि से 30 दिवस के भीतर भूखण्ड की पूरी कीमत न्यास को जमा करवाया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात् अगले 60 दिवस में बकाया मूल राशि 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज की राशि के साथ जमा करायी जा सकती है अन्यथा नीलामी / आवंटन स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

विभाग में ऐसे संदर्भ प्राप्त हुये है जिनमें भूखण्डों के क्रेताओं / आवंटियों के द्वारा मूल राशि नीलामी स्वीकृति / आवंटन तिथि से 30 दिवस तक की अवधि में जमा नहीं करायी गयी लेकिन इसके अगले 60 दिवस की अवधि में मूल राशि जरिये चैक / डीडी / आरटीजीएस जमा हुयी किन्तु उस पर ब्याज की राशि देय हो गई जो क्रेताओं / आवंटियों के द्वारा भूखण्डों का कब्जा चाहा जा रहा है लेकिन निर्धारित अवधि में ब्याज जमा नहीं होने के कारण भूखण्ड को स्वतः निरस्त मानते हुये नगरीय निकाय के द्वारा भूखण्ड का कब्जा नहीं दिया जाता है। ऐसे प्रकरण दो वर्ष से भी अधिक अवधि में लंबित चले आ रहे है।

उक्त नियमों के अनुसार भूखण्ड के स्वतः निरस्तीकरण के बाद एक वर्ष के भीतर ब्याज एवं पेनल्टी के साथ बकाया रकम जमा कराने पर न्यास अध्यक्ष के द्वारा तत्पश्चात् अगले एक साल की अवधि में न्यास के द्वारा स्वतः निरस्त भूखण्ड का नियमितिकरण किया जा सकता है और इसके बाद राज्य सरकार नियमितिकरण करने की अनुमति दे सकती है।

जनसाधारण की कठिनाईयों के त्वरित निवारण हेतु राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना चालू की गई है।

इसी के तहत इस तरह के आवंटियों को राहत देने के उद्देश्य से उपरोक्त संदर्भित नियमों के नियम 31 के अन्तर्गत शिथिलता देते हुये ऐसे मामलों, जिनमें भूखण्ड की मूल कीमत नीलामी स्वीकृति/आवंटन तिथि से 90 दिवस के भीतर जमा हो चुकी हो लेकिन ब्याज की राशि बकाया होने के कारण भूखण्ड का स्वतः निरस्तीकरण हो गया हो और स्वतः निरस्तीकरण की अवधि दो वर्ष से अधिक हो गयी हो, उनमें नियमितिकरण की राज्य सरकार की शक्तिया/मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना की समयावधि तक समस्त विकास प्राधिकरणा एवं नगर सुधार न्यासों को प्रदान की जाती है।

यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिन प्रकरणों में भूखण्ड के स्वतः निरस्तीकरण के बाद दो वर्ष की अवधि में भी मूल राशि जमा नहीं हुयी है तो ऐसे प्रकरणों को राज्य सरकार के निर्णय हेतु प्रेषित किया जावेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

18/9/18

(रत्नेन्द्र सिंह शेखावत)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

प्रतिलिपिः निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विकास प्राधिकरण।
4. संयुक्त शासन सचिव/प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. सचिव, नगर विकास न्यास (समस्त), राजस्थान।
6. उप विधि परामर्शी, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान।
7. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

18/9/18

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम